



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2002/फाल्गुन 10, 1923

No. 230]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2002/PHALGUNA 10, 1923

ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2002

New Delhi, the 1st March, 2002

का.आ. 269(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 मार्च, 2002 से ऊर्जा कार्य-कुशलता ब्यूरो स्थापित करती है।

S.O. 269(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby establishes the Bureau of Energy Efficiency with effect from the 1st day of March, 2002.

[फा. सं. 13/2/2001-ईएम(ii)]

[F.No. 13/2/2001-EM(ii)]

एस. प्रभाकरन, विशेष सचिव

S. PRABHAKARAN, Spl. Secy.